

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-185
उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

वंचित छात्रों को छात्रवृत्तियां

†185. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पात्रता मानदंड, प्रदत्त वित्तीय सहायता और नवीनीकरण आवश्यकताओं सहित सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए उपलब्ध कराई गई छात्रवृत्तियों के प्रकारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश विशेष रूप से नेल्लोर और प्रकाशम जिलों से उपरोक्त विनिर्दिष्ट छात्रवृत्तियों के अंतर्गत लाभार्थियों का जिले-वार ब्यौरा और कुल संख्या कितनी है;

(ग) आंध्र प्रदेश विशेष रूप से नेल्लोर और प्रकाशम जिलों के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट छात्रवृत्तियों के प्रयोजनार्थ आवंटित और उपयोग की गई निधि की कुल राशि का जिले-वार ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या सरकार ने उपरोक्त विनिर्दिष्ट छात्रवृत्तियों के आधार पर अपनी शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों विशेष रूप से रोजगार के संबंध में, सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): सरकार सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं लागू कर रही है। पात्रता मानदंड, प्रदत्त वित्तीय सहायता और नवीनीकरण अपेक्षाओं सहित इन योजनाओं का विवरण निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है:

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	वेबसाइट का लिंक
1.	उच्चतर शिक्षा विभाग	https://www.education.gov.in/pm-usp-scholarships-education-loan
2.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	https://www.ugc.gov.in/Home/student_Corner
3.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	https://www.aicte-india.org/bureaus/rifd/Scholarship-Schemes
4.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	https://socialjustice.gov.in/scheme-cat
5.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	https://depwd.gov.in/scholarship/
6.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	https://tribal.nic.in/ScholarshiP.aspx
7.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	https://www.minorityaffairs.gov.in/show_content.php?lang=1&level=2&ls_id=661&lid=823

इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित सभी वंचित छात्रों को उनके माता-पिता की आय की उच्चतम सीमा के अध्यधीन छात्रवृत्तियां प्रदान करते हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की जिले-वार संख्या https://www.education.gov.in/parl_ques पर देखी जा सकती है। विगत 5 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत जिले-वार उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा https://www.education.gov.in/parl_ques पर देखा जा सकता है।
